

आदेश सं० 11/विविध-2-03/2012 /पटना, दिनांक:-

: - आदेश :-


छिहरी वारिदेहाधीन जलसंधि प्रमंडल, मोहनिवाँ के अधीन दुर्गक्षित मुंडर क्षेत्र के 22.01 कि० मी० से 39.53 कि० मी० तक सेवा पथ के पक्कीकरण कार्य से संबंधित एकरारनामा संख्या 12/एफ-2/2006-2007 के० डी० आर० कंसट्रक्शन प्रा० लि० अतरवाल्धा, कैमूर द्वारा किया गया था। इसमें स्वीकृत प्राक्कन के अनुसार 161.33 मे० टन विटुमिन का उपयोग होना था। सधेक के लिए विटुमिन से संबंधित कार्य मद का किन्किह दर पर एकरारनामा किया गया था। विटुमिन प्राप्त करने हेतु कावंपालक अभियंता के पत्रांक 235 दिनांक 20.03.07 द्वारा भारतीय तेल निगम, बरौनी को 161.31 मे० टन विटुमिन प्राप्त करने हेतु इन्डेन्ट भेजा गया था, जिसका भुगतान सधेक जी ड्राफ्ट द्वारा करना था। इसके विरुद्ध सधेक द्वारा भारतीय तेल निगम से 154.509 मे० टन विटुमिन इस कार्य हेतु प्राप्त किया गया।

वस्तुतः पत्रांक 235 दिनांक 20.03.07 द्वारा सावध वितरणी के सेवापथ के लिए भी 29.145 मे० टन विटुमिन का इन्डेन्ट किया गया था।

उक्त इन्डेन्ट के आलोक में सधेक द्वारा 19 अदद बालानों के माध्यम से कुल 171.929 मे० टन विटुमिन प्राप्त किया गया था। सावध वितरणी से 17.42 मे० टन विटुमिन का उभत किया गया। इस प्रकार वर्धित कार्यों में 171.929 मे० टन 17.42 मे० टन=154.509 मे० टन का उपयोग हुआ। मार्च 2010 में सेवा वरीक्षा के दौरान पाया गया कि सधेक द्वारा 20 अदद बालानों वार अदद द्वितीयक के साथ जमा किया गया था जिसकी कुल मात्रा 181.453 मे० टन होती थी एवं 10 पें बापु विपन्न के अनुसार 184.82 मे० टन विटुमिन के समुल्य कार्य पर भुगतान किया गया था। सेवा वरीक्षा के दौरान वार अदद बालान द्वितीयक होने का मामला प्रकल्प में आया। बाद में उ अदद बालान सधेक द्वारा मूल में जमा किया गया अर्थात् मूल बालान के अनुसार 19 अदद बालानों के आधार पर विटुमिन की कुल मात्रा 171.920 मे० टन पाया गया।

सधेक द्वारा घोषाछुटी अनाकर अधिक भुगतान पाने के कारण उन्ते विभागीय पत्रांक 99 दिनांक 09.01.2013 के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

सधेक से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई समीक्षोपरान्त उनका स्पष्टीकरण अमान्य करते हुए निबंधन निवमावली 2007 के कंडका-113 एवं 114 में निहित प्रावधानों के तहत के०डी०आर०कंसट्रक्शन प्रा० लि० ग्राम-अतरवाल्धा, पी०-कुरेट, जिला-कैमूर, भुआ के निबंधन संख्या 66/2009/रेणी-113 को काली सूची में डाला जाता है।

  
19.3.13  
प्रदीप कुमार,  
प्रशासक प्रमुख, पटना।

47

हाप कि:- 1511

पटना, दिनांक:- 19.03.13

प्रतिभाष के डी० आर० कंसुभराम प्रो० लि० एम० डि०-का प्रधानाध्य  
क्षिप, प्रशि-अंतरवासा, पी०-कै०, विना-केसूर, मुमुजा, पिनकोड-821109 को सूचना  
प्रेषित ।

प्रशिन्द्र कुमार,  
अभियंता प्रमुख, गद्यक ।

हाप कि:- 1511

पटना, दिनांक:- 19.03.13

प्रतिभाष प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/  
प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पथ निर्माण विभा  
बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभी मुख्य अभियंता, जल  
संसाधन विभाग, बिहार/अधीक्षक अभियंता, बाढ़ निवृत्तन योजना एवं प्रो०पटना/अधीक्षक  
अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग डिवी-2, 3, 4 पटना/निदेशक, क्रय एवं भंडार एवं  
सामग्री प्रबंधन/श्री विनोद कुमार तिव्हा, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार,  
पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-19, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को  
सूचना एवं आवश्यक दायर्षि प्रेषित ।

प्रशिन्द्र कुमार,  
अभियंता प्रमुख, गद्यक ।